UPMO010016362026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–532/2026

मौ0 शमशुददीन उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र सायरून, निवासी ग्राम तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानकार, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–312/2024
धारा–333, 115(2), 74, 352, 351(2), 76, 309(6) बी0एन0एस0
थाना–पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद।

06.03.2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2– आवेदक/अभियुक्त मौ0 शमशुददीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–312/2024 अंतर्गत धारा–333, 115(2), 74, 352, 351(2), 76, 309(6) बी0एन0एस0, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा जावेद द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 23.08.2024 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी गोधली मार्केट होटल केट सेन्टर वाली गली, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद का रहने वाला है। दिनांक 14.08.2024 को रात्रि के लगभग 12.00 बजे के आस–पास गुलाम कारिज पुत्र मौ० शरीफ व उसका भाई शाहे आलम व उसका दोस्त शमशुद्दीन पुत्र नामालूम, निवासीगण नानकार, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद व उसके

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.06 17:51:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बहनोई शानू पुत्र नजारुल, निवासी फतेहपुर, थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद मेरे घर में घुस आये और गन्दी गन्दी गालियां देने लगे, प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो उन सभी लोगों ने प्रार्थी के साथ मारपीट शुरु कर दी, जब प्रार्थी की पत्नी राबिया प्रार्थी को बचाने के लिए आयी, तो शाहे आलम व शानू ने प्रार्थी की पत्नी के साथ छेडछाड की, उन दोनों पति–पत्नी के शोर शराबे की आवाज सुनकर जब प्रार्थी के परिवार के अन्य लोग उन्हें बचाने के लिये आये, तो ये सभी लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। उक्त प्रकरण में गुलाम कारिज, उसके भाई शाहे आलम, दोस्त शमशुद्दीन व बहनोई शानू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की करने की कृपा करे। वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण गुलाम कारिज, शाहे आलम, शमशुद्दीन व शानू के विरूद्ध धारा–351(2), 352, 74, 115(2), 333 बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा–309(6) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

4. उभय पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि, उपरोक्त लिखित अभियोग में प्रार्थी को मिथ्या तथ्यों के आधार पर आरोपित किया गया है, प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उपरोक्त लिखित अभियोग दिनांक 23.08.2024 पंजीकृत होना दर्शाया है, जबकि तथाकथित काल्पनिक घटना दिनांक 14.08.2024 की समय 0:00 बजे की दर्शायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, वादी मुकदमा द्वारा महज प्रार्थी को परेशान करने व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य उपरोक्त मुकदमें में झूठा नामित किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, प्रार्थी ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर कोई भी मारपीट या लूट या वादी की पत्नी के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है, मात्र सह–अभियुक्त से मित्रता होने की रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी को झूठा नामित किया गया है, वास्तविकता यह है कि, वादी मुकदमा की पुत्री का प्रेम सम्बन्ध सह–अभियुक्त गुलाम कारिज से था, जिस कारण वादी मुकदमा व उसकी पत्नी सह–अभियुक्त गुलाम कारिज से रंजिश रखते थे, प्रार्थी की गुलाम कारिज से मित्रता थी, वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी पर गुलाम कारिज को समझाने का दबाव बनाया गया, जिसमें असमर्थता जताने पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी प्रार्थी से भी रंजिश रखने लगे और प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में झूठा नामित कर दिया, प्रार्थी ने उक्त मुकदमें की विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3616/2025, मौ० शमशुददीन बनाम उ०प्र० राज्य योजित किया था, जिसमें

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2025 पारित कर प्रार्थी की आरोप पत्र प्रेषण तक अग्रिम जमानत स्वीकृत की गयी, प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अग्रिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है और विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है, विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व उसके हितबद्ध गवाहों के बयानों के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त मुकदमें में कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है, घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और मेडिकल साक्ष्य से भी घटना की पुष्टि नहीं हो रही है, वादी मुकदमा व पीड़िता के बयान–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में विरोधाभास है, जिससे भी प्रार्थी के विरूद्ध घ टना की पुष्टि नहीं हो रही है, प्रार्थी की ओर से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, प्रार्थी का अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित नहीं है, प्रार्थी वचनबद्ध है कि विवेचना में जब एवं जहाँ भी उसको तलब किया जावेगा, वह उपस्थित रहेगा व पूर्ण सहयोग करेगा, मुकदमा उपरोक्त बी0एन0एस0एस0 की धारा–482(4) में दिये गये अपराधों में नहीं आता है, प्रार्थी के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं बेबुनियाद हैं। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुये, अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के निजी अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी0 चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि0मि0 अपील नं0–1340/2019 निर्णीत दिनांक–09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

8– इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए.आई.आर. ऑन लाइन 2020 एस. सी. पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने

से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा–34 व धारा–149 भा0दं0संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1165/2025, न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नं0–3616/2025, मौ0 शमशुद्दीन बनाम उ0प्र0 राज्य योजित किया था, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 08.05.2025 के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित होने तक के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि, प्रश्नगत मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त ऐसा कोई भी आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन एवं फर्जी प्रतीत होती हो। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, जिसमें आजीवन कारावास या दस वर्ष तक का दण्ड प्राविधानित है, इसके अतिरिक्त प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद प्रार्थी/अभियुक्त तथ्यात्मक स्थिति और परिस्थितियों में कोई बदलाव दर्शित करने में भी असफल रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 शमशुद्दीन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–312/2024 अंतर्गत धारा–333, 115(2), 74, 352, 351(2), 76, 309(6) बी0एन0एस0, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

स्टेनो–राजीव कुमार।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
06.03.2026